न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:– 19/2014

प्रविष्टि दिनांक:– 12–05–2014

भूरा बलाई पुत्र जंगल्या उर्फ जग्गा बलाई निवासी हाथगी पोस्ट हाथगी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0।

..... अपीलाण्ट

बनाम

1–प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक उर्फ अरावली क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मालपुरा जिला टोंक राजस्थान।
2–उपपंजीयक मालपुरा तहसील मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोक
3--तहसीलदार (भू.अ.) मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक

..... रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व नामांतकरण सं0 395/2066 दिनांक 29.01.2008 तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

उपस्थितः (1)श्री धीरज संगत, अभिभाषक अपीलाण्ट्स
(2)श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट रेस्पो0 सं0 1
(3)श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक, रेस्पो0 सं02व3

निर्णय

दिनांक01–07–2016

1. संक्षिप्त में अपील का सार इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 360,348,346,462,347,345 कुल रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम हाथगी तहसील मालपुरा में स्थित है, उक्त भूमि को प्रार्थी द्वारा ऋण लेने हेतु गिरवी रखी थी परन्तु रेस्पोडेण्ट्स विपक्षीगण ने रहननामा लिखाते समय 4,40,000/–रूपये के स्थान पर राशि 5,00,000/--रू0 अंकित करदी और नामांतकरण सं0 395 दिनांक0 29.01.2008 अपने नाम तस्दीक करवा लिया। अतः उक्त आदेश नामांतकरण से व्यथित होकर इसे निरस्त करवाने के लिए यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया एवं मूल नामांतकरण मंगवाया गया। बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट अनुसूचित जाति बलाई समुदाय का काश्तकार पेशा है जिसका उक्त आराजी पर अपीलाण्ट खातेदार, काबिज, स्वामी है। रेस्पो0 नं0 1 राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 के अध्यधीन काश्तकारों को ब्याज पर कृषि ऋण व कृषि सहायता उपलब्ध कराने का कारोबार करता है और ऋण को मय ब्याज के किस्तों में वसूल कर मुनाफा कमाता है और प्राप्त धन का बन्धक धन में संदाय कर विनियोजित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

करता है। अपीलाण्ट ने रेस्पो0 नं0 1 के समक्ष ट्रेक्टर एवं उसके एसेसरीज हेतु दि0 21.11.07 को सावधी ऋण राशि 4,40,000/रू0 दि0 21.11.07 को उक्त ऋण को रेस्पो0 नं01 से करार किया था तथा रेस्पो0 नं01 ने उक्त ऋण राशि 29.12.07 को अपीलाण्ट को अदा की। अपीलाण्ट अनपढ, ग्रामीण व्यक्ति है जिससे बेंक ने करार करते समय खाली कागजो पर अंगूठा निशानी करवा लिया और रेस्पो0 नं0 1 ने स्वयं के बैंक मे फोरमेट पर रोडा अधि0 की धारा 6(1) के अधीन खाली कागजात पर अंगूठा निशानी करवाली एवं उस पर अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में बिना जानकारी के छल-कपट से 5,00,000/-रू0 भर कर प्रतिवादी रेस्पो0 नं0 2 के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे पंजीकृत कर लिया और उसके आधार पर रेस्पो0 नं0 3 ने बेंक के हक में उक्त नामांतकरण खोल दिया। इस कारण अपीलाण्ट पर अधिक राशि का अधिक ब्याज बन गया आर उस आधार पर रेस्पो0 नं0 1 अपीलाण्ट की भूमि कूर्क करवाने व अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजियात को विक्रय करने पर आमादा है। अतः उक्त तथ्यों से नामांतकरण गैर कानूनी और विधि विरूद्व होने निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट नं0 1 ने बहस के दौरान कथन किया कि अपील म्याद बाहर पेश की गई है जो चलने योग्य न होने से खारिज योग्य है क्योंकि प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0एक्ट में बिना देरी के अपील पेश करने के बताये गये है वे ठोस न होकर बेबुनियाद है। अपीलाण्ट द्वारा बैंक करार करते समय बैंक के समक्ष बैंक के फोरमेट रोडा अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन रहनामे पर अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में नहीं बल्कि अपीलाण्ट व उसके द्वारा नामित अन्य दो व्यक्तियों की उपस्थिति में राशि दर्ज की गई है। रेस्पो0 नं0 1 ने फ्राडूलेण्ट डाकूमेन्ट के आधार पर किसी छल-कपट से भूमि का रहननामा व नामांतकरण तस्दीक नहीं करवाया है बल्कि निमानुसार कार्यवाही की गई है। अपीलाण्ट द्वारा ऋण की राशि की किश्ते जमा नहीं कराने पर ही बैंक द्वारा अपीलाण्ट को निर्धारित राशि का नोटिस द्वारा जारी किया गया जो कानून सही है। अपील अपीलाण्ट द्वारा नामांतकरण संख्या 395/2066 के विरूद्व पेश की गई है किन्तु उक्त नामांतकरण की प्रति प्रस्तुत न करके नामांतकरण सं0 1528 की प्रस्तुत करदी गई है। इस प्रकार अपील अपीलाण्ट चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमायी जावे।

5. राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2 व 3 की और से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अपील मेमो में उल्लेखित नामांतकरण सं0 395/2066 के नामांतकरण सं0 1528 की प्रति पेश की है जो गलत पेश किये जाने पर अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

6. हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट का यह कथन कि अपीलाण्ट अनपढ, ग्रामीण व्यक्ति है जिससे बेंक ने करार करते समय खाली कागजो पर अंगूठा निशानी करवा लिया और रेस्पो0 नं0 1 ने स्वयं के बैंक मे फोरमेट पर रोडा अधि0 की धारा 6(1) के अधीन खाली कागजात पर अंगूठा निशानी करवाली एवं उस पर अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में बिना जानकारी के छल-कपट से 5,00,000/-रू0 भर कर प्रतिवादी रेस्पो0 नं0 2 के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे पंजीकृत कर लिया और उसके आधार पर रेस्पो0 नं0 3 ने बेंक के हक में उक्त नामांतकरण खोल दिया, मान्य नहीं है क्योंकि अपीलाण्ट के अलावा उसके

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

द्वारा नामित दो व्यक्तियों की उपस्थिति में कार्यवाही की गई है। अपीलाण्ट जिस नामांतकरण सं0 395/2066 के विरूद्व अपील में आये है उस नामांतकरण की संलग्न न कर नामांतकरण सं0 1528 की प्रमाणित फोटो संलग्न करदी है। अतः उपरोक्त तथ्यों से अपील आपीलाण्ट खरिज किये जाने योग्य है।

7. फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 01.07.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner